न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

घनश्याम तनय भिम्मे चढ़ार     निगरानी-4681/2018/सागर/भू.रा.

निबासी — ग्राम बंसिया गंगे, तहसील राहतगढ़, जिला सागर,

.................अपीलार्थी

वनाम

1— भावसींग तनय स्व भिम्मे चढ़ार

2— लालसींग तनय घनश्याम चढ़ार

सभी निबासी — ग्राम बंसिया गंगे, तहसील राहतगढ़,

जिला सागर, म0प्र0     .....................प्रतिअपीलार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि अपीलार्थी द्वारा यह निगरानी **न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राहतगढ़ जिला सागर द्वारा प्र0क0 23/अ—27/2017—18 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22/06/2018** से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में है, तथा माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक एवं अनावेदक क0 01 के पिता भिम्मे चढ़ार द्वारा एक आवेदनपत्र अंतर्गत अधीनस्थ बिचारण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय राहतगढ़ जिला सागर के न्यायालय में अपने नाम की भूमि के बंटवारा बावद प्रस्तुत किया गया था। जिसे बिचारण न्यायालय द्वारा प्र0क0 12/अ—27/2006—07 में पारित आदेश दिनांक 03/01/2007 के द्वारा बिधिवत तरीके से संहिता की धारा 178 में बर्णित प्रावधानों के आधार पर बिचारण करके पारित आदेश के द्वारा बंटवारा किया गया था।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-4681/2018/सागर/भू.रा. घनश्याम विरूद्ध भावसींग

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br><br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमांक 23/अ-27/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 22-06-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br><br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br><br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br><br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । | |

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.01.19
सदस्य